दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.3.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 14 व अ०० ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरार हक हुक्म इम्तनाई दवामी व इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवार का पेश कर ख0नं0 887 रकबा 0.75 हैक्टर, ख0नं0 925 रकबा 0.68 हैक्टर वाके तन सबलपुरा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 के खाते कब्जे काश्त की पैत्रिक है जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 ने आज से करीब 40 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार ख0नं0 887 वादीगण के तथा ख0नं0 925 प्रतिवादी सं0-1 से 4 के हिस्से में आये हुये हैं ।वादीगण एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है।उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। अतः ख0नं0 887 का वादीगण को तथा ख0नं0 925 का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर विवधिवत बंटवारा किया जाकर खाता अलग अलग किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। विवादित आराजी में रेस्पो0 सं0-1(15 से 17 के पिता) भागुराम उर्फ मांगूराम पुत्र आसाराम का संयुक्त एवं अविभाजित 1/8 हिस्सा पर कब्जा काश्त एवं खातेदारी है। जिसमें उक्त भागुराम ने अपना 1/8 हि0 ख0नं0 887 में से सम्पूर्ण दिनांक 31-01-2002 को पूर्ण प्रतिफल लेकर अपीलान्ट अमरराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा अपीलान्ट का करवा दिया उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 23-4-2010 को करवा दिया। जिससे अपीलान्ट ख0नं0 887 रकबा 0.75 हैक्टर के 1/8 हिस्से का काबिज काश्तकार दि0 31-1-2002 से रहा है। अदालत मातहत में प्रतिवादी सं0-1/रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1(15 से 17 के पिता) की तामिल नहीं हुई और न ही वह अदालत मातहत में हाजिर हुआ। अदालत मातहत में भागूराम को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

आदेश पारित किया है । उक्त आराजी का 40 वर्ष पूर्व कोई बाहमी बंटवारा नही किया गया ।अदालत मातहत में वादीगण ने न तो किसी दस्तावेज को साक्ष्य में साबित किया है और ना ही कोई सशपथ बयान करवाये है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बैचान कर दिया । इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या- (15 से 17 के पिता) -1 दावा दायरी के समय ख0नं0 887 रकबा 0.75 हैक्टर में 1/8 हिस्से में किसी प्रकार का सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का नाम जमाबन्दी में नाम दर्ज होने से उसे दावा में पक्षकार बनाया जाकर उसकी बिना तामिल करवाये विक्रय पत्र के तथ्य को छिपाते हुये गलत रूप से दावा डिक्री करवाया है । अपीलान्ट इस आराजी के 1/8 हिस्से पर विक्रय दि0 31-1-2002 के दिन से ही काबिज रहा है । जिससे रेस्पोडेन्ट को इस विक्रय पत्र की शुरू से ही जानकारी रही है। इसके बाद भी अपीलान्ट को जानबुझ कर दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा मौके पर बिना गये ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विधि के विपरित भिजवाये हैं जिन पर कोई आपत्ति न लेकर दावा विधि के वपिरित डिक्री किया है । अपीलान्ट को दावे में पक्षकार नहीं बनाये जाने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28-1-2013 को जब अपीलान्ट अपनेहिस्से की आराजी को सम्भालने गया तब रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने कहा कि यह आराजी हमारी है । इसका निर्णय हमने हमारे नाम से करवा लिया है । तब अपीलान्ट दूसरे दिन जाकर तहसील कार्यालय से नामान्तरकरण की नकल ली जो दिनांक 6-2-13 को मिली जिस पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है ।अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विक्रय पत्र दिनांक 31-1-2002 में रेस्पोडेन्ट सं0-1 भागूराम ने आराजी ख0नं0 887 रकबा 0.75 हैक्टर में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 अमराराम को विक्रय किया है । जिसको दिनांक 23-4-2010 को उप पंजीयक के यहां पंजीकृत करवाया गया । दावा दिनांक 15-12-2009 को दर्ज रजिस्टर किया गया ।जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0-15 से 17 के पिता भागूराम की तामिल नही हुई है । भागूराम पुत्र आशाराम के नाटिस की पुश्त पर लिखा है" मांगू/ आशा ग्राम सबलपुरा में नहीं है वो परिवार सहित हनुमानगढ रहता है।" नोटिस अदम तामिल वापस भेजा गया ।जिसकी तामिल अथवा अदम तामिल का कोई आदेश नहीं किया तथा भागूराम की तामिल बिना हुये ही आदेश पारित किया है ।पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से किसी भी प्रतिवादी की तामिल के आदेश नही किये तथा भागूराम की तामिल के बाबत तो तामिल कुनिन्दा ने स्पष्ट लिखा है सम्मन अदम तामिल वापिस ।भागुराम ने अपना सम्पूर्ण हि0 अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31-1-2002 को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया । विक्रय पत्र के अनुसार अपीलान्ट विवादित आराजी का हितबद्ध पक्षकार है जिसको अपने अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है । इस कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है । भागूराम जमाबन्दी सं0-2061 से 2064 में भागूराम विवादित आराजी का 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज है। किन्तु अदालत मातहत में प्रतिवादीगण की तामिल का कोई आदेश नहीं किया गया ।इस कारण

करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत में प्रतिवादीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । दूसरा यह कि अपीलान्ट विवादित आराजी का क्रेता है जिसको पक्षकार नहीं बनाया जिसके कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी भी अपीलान्ट को दिनांक 28-1-2013 को होना बताया जिसके सन्दर्भ में कानूनी नजीर वकील अपीलान्ट ने आरआरडी 1998 पेज- 319 पेश की है जिसमें प्रार्थना पत्र में यह देखा जाना चाहिये की सन्तोषप्रद कारण दर्ज है या नहीं प्रस्तुत प्रकरण में तो न तो रेकार्डेड खातेदार की प्रोपर तामिल करवाई और न ही क्रेता को किसी प्रकार की सूचना दी है । प्रार्थना पत्र दफा-5 पर अपील का निर्णय न कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है तथा अपील इसी बिन्दू पर कि प्रतिवादीगण की कोई तामिल होना पत्रावली पर नहीं है जिससे उन्हे सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला । जिन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना उचित एवं विधिक है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-11-2011 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनाक 16-3-2018 को उपस्थित होवे । निर्णय सुनाया गया ।

5/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर